<u>प्रेस नोट</u>

महानगर क्षेत्र वाराणसी में विगत वर्षों में आटो/ई-रिक्शा, मालवहाक, मैजिक ,बस आदि में भारी वृद्धि के दृष्टिगत सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 31 का प्रयोग करते हुये शहर क्षेत्र में रोडवेज बस(उ0प्र0 परिवहन निगम), प्राइवेट बस, टूरिस्ट बस इत्यादि को शहर से बाहर से संचालित करने के लिये पुलिस उपायुक्त यातायात द्वारा निम्न आदेश जारी किया गया है।

1. उ0प्र0 परिवहन निगम की बसें जो कैण्ट स्टेशन के सामने स्थित रोडवेज बस स्टैण्ड से संचालित हो रही है, उनकें महानगर क्षेत्र वाराणसी में प्रवेश एवं निकास हेतु मार्गो का अग्रवत निर्धारण किया जाता है ।
   I. सोनभद्र एवं मिर्जापुर से आने वाली बसें अमरा अखरी, मोहन सराय, मुढैला तिराहा, लहरतारा चौराहा, कैंसर हास्पिटल होते हुए कैण्ट स्टेशन स्थित रोडवेज बस स्टैण्ड जायेगें तथा इसी मार्ग से वापस सोनभद्र/मिर्जापुर जायेंगे।
   II. प्रयागराज से आने वाली बसें मोहन सराय, मुढैला तिराहा, लहरतारा चौराहा, कैंसर हास्पिटल होते हुए कैण्ट स्टेशन स्थित रोड़वेज बस अड्डा जायेगे तथा इसी मार्ग का प्रयोग वापस प्रयागराज जाने में करेंगे।
   III. जौनपुर, आजमगढ़ व गाजीपुर से आने वाली बसे रिंगरोड होते हुए हरहुआ चौराहा, गिलट बाजार, सेण्ट्रल जेल रोड तिराहा से फुलवरिया फ्लाइओवर, लहरतारा चौराहे से बांए मुड़कर कैंसर हास्पिटल होते हुए रोडवेज बस अड्डा जायेंगे तथा वापसी में लहरतारा, बौलिया चौराहा होते हुए फुलवरिया फ्लाइवोर का प्रयोग करते हुए जौनपुर,आजमगढ़ व गाजीपुर वापस जायेंगे।
      - उ0प्र0 परिवहन निगम की सभी बसों को बस अड्डे के अन्दर ही पार्क किया जायेगा किसी भी दशा में बसों को बस अड्डा के बाहर सड़क से संचालित या खड़ा नही किया जायेगा ।
2. रोडवेज के अतिरिक्त अन्य प्रकार के बसों (प्राइवेट, टूरिस्ट) का शहर में मुढैला तिराहा से आगे प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
   A. सोनभद्र एवं मिर्जापुर से आने वाली प्राइवेट बसें अमरा अखरी, मोहन सराय से मुढैला तिराहा तक ही जायेंगी।

   B. प्रयागराज से आने वाली प्राइवेट बसें मोहन सराय से मुढैला तिराहा तक ही जायेगी।
   C. जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर से आने वाली बसे रिंगरोड होते हुए हरहुआ चौराहा, गिलट बाजार, सेण्ट्रल जेल रोड तिराहा से फुलवरिया फ्लाइओवर, लहरतारा चौराहे से दाहिने मुड़कर मढैला तिराहा तक जाकर अपनी सवारी उतारेंगी।

   प्राईवेट (पार्टी बुंकिंग) बसों को अपनी सवारी मुढ़ैला पर उतार कर स्वयं की पार्किंग स्थल/प्राईवेट पार्किंग स्थल पर पार्क किया जायेगा। सड़क पर कोई भी प्राईवेट/टूरिस्ट बसों की पार्किंग अनुमन्य नहीं है। टूरिस्ट बसें जो विदेशी पर्यटको को लेकर आती है, वो इन्ही मार्ग का प्रयोग कर कैण्ट क्षेत्र के होटल में यात्रियों को सुबह 09.00 बजे तक तथा रात्रि को 09.00 बजे के बाद यात्री छोड़ने या लेने जा सकेंगी ।
3. शहर में शादी विवाह इत्यादि आवश्यक व अपरिहार्य परिस्थिति में बसों के प्रवेश हेतु पुलिस उपायुक्त कार्यालय से समुचित कारण दर्शित करते हुये पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा।

सम्बन्धित थाना/परिवहन विभाग/नगर निगम वाराणसी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित की गयी व्यवस्था का अनुपालन किया जायेगा तथा इसका व्यापक प्रचार प्रसार करते हुये यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा। **यह आदेश दिनाँक 20.07.2024 से प्रभावी होगा ।**